न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 484–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 512/अपील/2012–13

.....

गोपालसिंह पुत्र श्री वीरसिंह
निवासी–ग्राम सोन्हर, तहसील करैरा
जिला–शिवपुरी (म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला–शिवपुरी (म0प्र0)
..... अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक ने पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे तहसील न्यायालय ने दिनांक 30–3–2011 से निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जो

आदेश दिनांक 15–5–2013 के द्वारा निरस्त कर दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की थी परन्तु उनके द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों पर बिना विचार किये आदेश दिनांक 29–10–2014 के द्वारा निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक ने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–10–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4–3–2015 को लगभग 67 दिन विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। विलम्ब के संबंध में समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह आधार दिया है कि आवेदक द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दी गई जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने न्यायालय आया तब उसे आदेश की जानकारी हुई। आवेदक का उपरोक्त तर्क के संबंध में कोई समाधानकार प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा समयावधि की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ अपने कथन को सत्यापित करने संबंधी शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी में समयावधि के बिन्दु पर समाधानकारण कारण एवं अवधि विधान की धारा 5 के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण निगरानी समयबाधित पाते हुये निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर